

## भाग—III

## हरियाणा सरकार

## पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 10 मई, 2022

संख्या सांका०नि० 79/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पशुचिकित्सा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1999, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा पशु चिकित्सा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा पशु चिकित्सा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1999 में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“5 आयु.— कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष से अधिक की आयु का हो।”।

पंकज अग्रवाल,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING DEPARTMENT**

**Notification**

The 10th May, 2022

**No. G.S.R. 79/Const./Art.309/2022.**— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Government of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Veterinary Headquarter and field (Group-C) Service Rules, 1999, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Veterinary Headquarter and field (Group C) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Veterinary Headquarter and field (Group-C) Service Rules, 1999, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely: -

“5. Age. – No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than forty-two years of age, on the last date of submission of application to the Commission.”.

PANKAJ AGARWAL,  
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Animal Husbandry And Dairying Department.